प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार-III,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–01
बुलन्दशहर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषयः श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, के जिलाधिकारी को सम्बोधित त्याग पत्र पर मुझसे मांगी गई आख्या का प्रेषण।

महोदय,

ससम्मान विनम्र प्रार्थना है कि दिनांक 15.11.2020 को समय करीब 2 बजकर 10 मिनट पर जब विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) बुलन्दशहर, उ.प्र. भारत में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा, अवकाश पर थे और विशेष वाद संख्या 3717 सन 2018, राज्य बनाम विकास, अन्तर्गत धारा 376 डी भा0द0सं0 व पॉक्सो अधिनियम, थाना अरनियॉ जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0 के मामले में विवेचक श्री डी0पी0 सिंह, जो मेरठ से आये थे, का मुख्य परीक्षण विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री नवनीत कुमार शर्मा के द्वारा लिखाया जा रहा था] तभी वर्तमान fo}ku डी0जी0सी0 (क्रि) श्री राहुल उपाध्याय, न्यायालय कक्ष में आये जब न्यायिक कार्य चल रहा था तथा पीठासीन अधिकारी, डायस पर बैठे हुए थे। श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) से वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया कि श्री सुनील कुमार शर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक के दिमाग खराब हो गये हैं और श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि) पॉक्सो कोर्ट में कैसे आ गये तब श्री नवनीत कुमार शर्मा, के द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश से वो विवेचक का मुख्य परीक्षण करा रहे हैं। इतने में ही विद्वान डी0जी0सी0(क्रि) श्री राहुल उपाध्याय, ने श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि) की गर्दन पकड़ते हुए गालियॉ देते हुए कोर्ट के बाहर यह कहते हुए ले गये कि क्या अभियोजन या जज साहब का ठेका ले रखा हSA श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) से गुथमगुथा होकर मारपीट djus yxsA उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा दिनांक 03.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 195(1) (बी) सपठित धारा 340 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया जो बतौर फौजदारी विविध वाद संख्या&336 सन 2020, नवनीत कुमार शर्मा बनाम राहुल उपाध्याय, विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम), बुलन्दशहर उ0प्र0 के यहॉ दर्ज किया गया। जॉचोपरान्त यह पाया गया कि श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के विरूद्ध धारा 323,504,228 भा0द0सं0 के तहत परिवाद दायर किया जाए। इसी संदर्भ में दिनांक 15.1.2021 को विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर, उ0प्र0 भारत के न्यायालय में श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के विरूद्ध परिवाद तैयार कर भेजा गया। जिस पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के विरूद्ध धारा 323,504,228

भा0द0सं0 के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया और वाद बतौर फौजदारी वाद संख्या 593 सन 2021, राज्य बनाम राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0), बुलन्दशहर, के रूप में दर्ज किया गया और श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को बतौर अभियुक्त दिनांक 03.02.2021 को तलब किया गया।

विद्वान न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर, उ0प्र0 भारत का कार्यभार दिनांक 28.1.2021 को मेरे द्वारा ग्रहण किया गया और न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर में श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) कार्यरत थे। वास्तव में जब मेरी नियुक्ति बतौर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर, उ0प्र0 के पद पर दिनांक 28.01.2021 को हुई तब उसके बाद विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, मेरे पास मेरे विश्राम कक्ष में कई मामलों में अभियुक्तगण की सिफारिश हेतु आये। मेरे द्वारा मना करने एंव ऐसा कहने पर कि कोर्ट साहब आपको यह शोभा नहीं देता है तब श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को अच्छा नहीं लगा और तभी कुन्ठित होकर श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा पक्षकारों से मिलकर स्थानांतरण प्रार्थना पत्र उन मामलों में डलवाना शुरू कर दिया जो मामले निर्णय के नजदीक थे या जिनमें बहस होनी थी व बहस हो चुकी थी।

दिनांक 19.3.2021 को श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) व श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा मीडिया के समक्ष न्यायालय पर झूठे आरोप लगाते हुए न्यायालय परिसर में ही स्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के कार्यालय में प्रैस कान्फ्रेन्स बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये, किया और सम्पूर्ण न्यायपालिका की निष्पक्षता पर झूठे व गम्भीर आरोप लगाये तथा अपने झूठे वक्तब्यों को मीडिया के हवाले किया जिसका प्रसारण इन्डिया न्यूज वन, न्यूज चैनल पर दिनांक 19.03.2021 को समय सांय 5.00 बजे से सांय 7.16 बजे तक प्रसारित किया गया।

इस प्रकार श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान डी0जी0सी0(क्रि) बुलन्दशहर व श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान ए0डी0जी0सी0(क्रि0) बुलन्दशहर के द्वारा मीडिया के समक्ष वक्तब्य देने के कारण दुराचार (Misconduct) किया गया है।

यह भी विदित है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0), बुलन्दशहर, उ0प्र0 भारत, के अधीन हैं तथा उनके मित्र भी हैं। श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0), बुलन्दशहर के विरूद्ध धारा 340 द0प्र0सं0 के प्रकरण में जॉचोपरान्त मेरे द्वारा दाखिल किया गया फौजदारी वाद संख्या 594 सन 2021, से नाराज रहने के कारण श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) का सहारा लेकर के षडयन्त्र के तहत जब श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को यह सूचना मिल गई कि उनका नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया है तब उनके द्वारा अपना त्यागपत्र देने का नाटक किया गया और इसी कड़ी में झूँठा त्याग पत्र देने का नाटक करते हुए जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रार्थना पत्र (त्यागपत्र)

23/3/21

दिया गया है और उसकी एक प्रति जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, को भेजी गई है। जिस पर माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी से आख्या आहूत की गई है।

यह भी प्रासांगिक है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा दिनांक 19.03.2021 को त्यागपत्र देने का नाटक किया गया जबकि उनके द्वारा दिनांक 19.3.2021 से कुछ दिन पूर्व मुझे यह बताया था कि उनका नवीनीकरण राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके उपरान्त यह जानते हुए कि श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान ए0डी0जी0सी0(क्रि0) के द्वारा त्यागपत्र दिया जा चुका है दिनांक 20.3.2021 को श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) की नियुक्त कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जनपद बुलन्दशहर के पत्रांक एसटी– डी0जी0 सी0–विविध 87/2021 दिनांक 20.03.2021 से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर में की गई।

माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि दिये गये स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

भवदीय,

23/3/21

दिनॉक: 23.03.2021

(वीरेन्द्र कुमार-III)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–01
बुलन्दशहर, आई.डी.नं.यू.पी.5804

संलग्नक– 1

कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांकः एसटी–डीजीसी–विविध– 87 /2021 दिनांकः 20/03/2021

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा,
श्री ध्रुव कुमार वर्मा,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0
जनपद–बुलन्दशहर।

अभियोजन कार्यवाही में गुणवत्ता एवं गतिशीलता के दृष्टिगत आप लोगों के मध्य अभियोजन की कार्यवाही का निम्नानुसार कार्यवितरण किया जाता है ।

1– श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, ए.डी.जी.सी., मा0 न्या0 ए0डी0जे0–प्रथम बुलन्दशहर के स्थान पर मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि0), न्याय कक्ष सं0– 02 में संयुक्त रूप से अभियोजन की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

2– श्री ध्रुव कुमार वर्मा, ए.डी.जी., मा0न्या0 विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि0), न्याय कक्ष सं0–02 के स्थान पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष सं0–01 बुलन्दशहर में अस्थाई रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अभियोजन की कार्यवाही करेंगें।

उपरोक्त आदेश दिनांकः 22/03/2021 से प्रभावी होगा । आप अपने–अपने न्यायालयों में प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही करते हुऐ अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

(राहुल उपाध्याय)
जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0
जनपद–बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः–

1– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित ।
2– मा0न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0–01 बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ ।
3– मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधि0), न्याय कक्ष सं0–02 बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ ।